"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 जनवरी 2011—माघ 2, शक 1932

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 12/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/11/145.—दिनांक 22-1-2011 को नगर पंचायत मल्हार, जिला-बिलासपुर के 06 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-12/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. श्रीमति आमकुंवर केवट, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2009 नगर पंचायत, मल्हार, जिला बिलासपुर, छ. ग.
2. श्रीमति ईर्शा बाई उर्फ इशा बाई, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2009 नगर पंचायत, मल्हार, जिला बिलासपुर छ. ग.
3. गनेशरी बाई, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2009 नगर पंचायत, मल्हार, जिला बिलासपुर, छ. ग.
4. श्रीमति दिव्या वैष्णव, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2009 नगर पंचायत, मल्हार, जिला बिलासपुर, छ. ग.
5. श्रीमति पुष्पा साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2009 नगर पंचायत, मल्हार, जिला बिलासपुर, छ. ग.
6. श्रीमति सुखनबाई कैवर्त, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2009 नगर पंचायत, मल्हार, जिला बिलासपुर, छ. ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)

पारित दिनांक 22 जनवरी, 2011

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर के प्रतिवेदन दिनांक 15 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत मल्हार के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 6 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 15 फरवरी 2010 के साथ निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संलग्न कर प्रतिवेदित किया गया कि नगर पंचायत मल्हार के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों श्रीमति आमकुंवर केवट, श्रीमति ईर्शा बाई उर्फ इशा बाई, गनेशरी बाई, श्रीमति दिव्या वैष्णव, श्रीमति पुष्पा साहू एवं श्रीमति सुखनबाई कैवर्त द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् 30 दिवस के अंदर अर्थात् दिनांक 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाना था.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने वाले उपरोक्त 6 अभ्यर्थियों को दिनांक 8 मार्च 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में चाहा गया. कारण बताओ सूचना उपरोक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 12 मार्च 2010 को तामील किया गया है. कारण बताओ सूचना उपरोक्त अभ्यर्थियों को विधिवत् तामील होने के उपरांत भी उक्त अभ्यर्थियों में से श्रीमति पुष्पा साहू को छोड़कर शेष अभ्यर्थियों द्वारा अपना जवाब निर्धारित अवधि अथवा उसके बाद आज दिनांक पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उपरोक्त अभ्यर्थियों को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है, तदनुसार उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. अभ्यर्थी श्रीमति पुष्पा साहू ने दिनांक 19 मार्च 2010 को कारण बताओ सूचना का जवाब फैक्स से आयोग को प्रेषित किया. अपने जवाब में उन्होंने यह उल्लेख किया है कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि के भीतर निर्वाचन शाखा जिला बिलासपुर में जमा किया गया जिसमें कुछ अपूर्णता पाते हुए उनके द्वारा कारण बताओ सूचना के साथ वापस कर दिया गया, जिसे पूर्ण कर दिनांक 18 मार्च 2010 को जमा कर जिला निर्वाचन कार्यालय बिलासपुर से पावती प्राप्त किया जिसकी छायाप्रति संलग्न है.

5. अभ्यर्थी श्रीमति पुष्पा साहू के जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर से आयोग द्वारा अभिमत लिया गया. जिसके सन्दर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर ने अपने ज्ञापन क्रमांक 1077 दिनांक 2 नवम्बर 2010 में यह उल्लेख किया है कि अभ्यर्थी पुष्पा साहू द्वारा विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा दिनांक 27 दिसम्बर 2009 से 30 दिन के भीतर निर्धारित अवधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अभ्यर्थी श्रीमती पुष्पा साहू की दलील कि पूर्व में उन्होंने निर्वाचन कार्यालय बिलासपुर में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर दिया था, जिसे अपूर्ण बताते हुए वापस कर दिया गया था सही नहीं है. वस्तुत: उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 18 मार्च 2010 को प्रस्तुत कर पावती प्राप्त की गई है.

6. अभ्यर्थी श्रीमति पुष्पा साहू को आयोग में प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 29 दिसम्बर 2010 को सुना गया तथा उनका शपथपूर्वक कथन लिया गया. श्रीमति पुष्पा साहू ने अपने कथन में दर्शाया है कि विहित समयावधि के भीतर उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा तहसीलदार कार्यालय मस्तूरी में जमा कर दिया गया था. राज्य निर्वाचन आयोग से कारण बताओ सूचना मिलने के उपरान्त मैंने 18 मार्च 2010 को जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया.

7. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर ने अपने प्रतिवेदन में दर्शाया है कि अभ्यर्थीगण ने नियत समयावधि के अन्दर निर्वाचन व्यय लेखा विहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

"धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष के पद निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है.

8. अभ्यर्थी श्रीमति आमकुंवर केवट, श्रीमति ईर्शा बाई उर्फ इशा बाई, गनेशरी बाई, श्रीमति दिव्या वैष्णव एवं श्रीमती सुखनबाई कैवर्त ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में अथवा उसके पश्चात् दाखिल नहीं किया तथा आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब नहीं दिया. अभ्यर्थी श्रीमति पुष्पा साहू के जवाब एवं शपथपूर्वक कथन में साम्यता नहीं है. अपने जवाब में यह उल्लेख किया है कि समयावधि में निर्वाचन कार्यालय बिलासपुर में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया था जिसे अपूर्ण होने के कारण वापस कर दिया गया था. बाद में उक्त व्यय लेखा दिनांक 18 मार्च 2010 को जिला निर्वाचन कार्यालय बिलासपुर में प्रस्तुत किया था जबकि अपने कथन में उक्त व्यय लेखा तहसील कार्यालय मस्तूरी में जमा करना कहा. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 2 नवम्बर 2010 से स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी पुष्पा साहू द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि के पश्चात् 18 मार्च 2010 को प्रस्तुत किया गया था. अतएव उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी श्रीमती पुष्पा साहू द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 से 30 दिवस के भीतर 27 जनवरी 2010 तक अधिसूचित अधिकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर को प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि विलम्ब से दिनांक 18 मार्च 2010 को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना जारी होने के उपरान्त जमा किया गया है. इस प्रकार अभ्यर्थी श्रीमती पुष्पा साहू ने विहित अवधि के पश्चात् विलम्ब से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया और उन्होंने इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना नहीं दिया; अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि श्रीमती आमकुंवर केवट, श्रीमति ईर्शा बाई उर्फ इशा बाई, गनेशरी बाई, श्रीमति दिव्या वैष्णव, श्रीमति पुष्पा साहू एवं श्रीमती सुखनबाई कैवर्त प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति से आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही

है तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी श्रीमति आमकुंवर केवट, श्रीमति ईर्शा बाई उर्फ इशा बाई, गनेशरी बाई, श्रीमति दिव्या वैष्णव, श्रीमति पुष्पा साहू एवं श्रीमती सुखनबाई कैवर्त द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण उन्हें इस आदेश की तारीख से चार वर्ष आठ माह की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

9. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 22 जनवरी 2011 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.